



पु.या.क/ /2018

प्र.दि. 31/10/2018

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर
नगरानी - 6342/2018/बडवानी/अ.प्र. इन्हीं के समक्ष

12

जितेन्द्र पिता ओम प्रकाश पाटीदार
निवासी :- भवानी माता चौक कसरावद,
तह. कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.) . . . पुनरिक्षणकर्ता/अनावेदक
विरुद्ध
म.प्र. शासन तर्फे अनुविभागीय अधिकारी
बडवानी जिला बडवानी (म.प्र.) . . . रेस्पाडेण्ट

डाक से प्राप्त

19-11-18

पुनरिक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.स. 1959 के तहत

मान्यवर महोदय,

सदर प्रकरण में, पुनरिक्षणकर्ता/अपीलार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि सहायक खनिज अधिकारी, जिला बडवानी से वस्तुस्थिती का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। सहायक खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेखित किया है कि अवैध रूप से पुनरिक्षणकर्ता/अपीलार्थी द्वारा ग्राम पीछोडी स्थित शासकिय भुमि सर्वे क 67, 68/1 रकबा 2.574 हे. मे से 40 ट्रक का अवैध बालु रेत का उत्खन्न करने के फलस्वरुप अवैध उत्खन्नन का प्रकरण दर्ज करते हुए भु -राजस्व संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बडवानी मे राजस्व प्रकरण क. 40/अ-67/2014-15 दर्ज किया जा कर 3,20,000/- अर्थदण्ड से आरोपित किया गया तथा आलोच्य आदेश दिनाक 30.03.2016 पारित किया गया।
4. यह कि उक्त आदेश दिनाक 30.03.2016 से व्यथित होकर पुनरिक्षणकर्ता/अपीलार्थी के द्वारा कलेक्टर महोदय बडवानी के समक्ष प्रथम अपील क 32/अ-67/2015-16 प्रस्तुत की गई थी जिसमे अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनाक 16.05.2018 को निरस्त की गई जिससे व्यथित होकर पुनरिक्षणकर्ता/अपीलार्थी द्वारा माननीय अपर आयुक्त महोदय के समक्ष अपील प्रकरण क 0857/अपील/2017-2018 प्रस्तुत कि जाने पर उनके द्वारा गुणदोषो पर निराकरण न करते हुये आलोच्य आदेश दिनाक 26.09. 2018 पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर पुनरिक्षणकर्ता निम्न आधारों पर सदर पुनरिक्षण प्रस्तुत करते है ।



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6342/2018/बडवानी/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.08.2019	<p>आवेदक जितेन्द्र पाटीदार को नियत पेशी दिनांक 6-8-2019 का भेजा गया नोटिस दिनांक 11-7-19 को तामील होने के उपरांत वापिस प्राप्त हुआ आवेदक पक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण आवेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p> <p> 6/8 अध्यक्ष</p>